did held a few Joint meetings with the recognised Union preceding the lockout on the 2nd August, 1973.

(b) Does not arise.

**Decline in Production of HMTV Hyderabad**

4650. SHRI B. N. REDDY:
SHRI BIREN DUTTA:

Will the Minister of HEAVY INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether there was any decline in the production in HMTV, Hyderabad in the months of September, and October, 1973; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRY (SHRI DALBIR SINGH): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

**हथियारों के उत्पादन के लिये सरकार द्वारा चलाये जाने वाले संयंत्र (प्लांट)**

4651. **श्री महादीपक सिंह शाक्य** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा चलाये जाने वाले ऐसे कितने संयंत्र हैं जिनमें सुरक्षा सम्बन्धी छोटे बन्दूक आदि शस्त्र तैयार होते हैं; और

(ख) सरकार द्वारा देश के किन किन स्थानों में इनकों बेचा जाता हैं और इनका निर्धारित मूल्य क्या है ?

**रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य जनता को बेचे जाने के लिए स्पोर्टिंग हथियारों के निर्माण के सम्बन्ध में जानना चाहते हैं । इनका निर्माण राइफल फैक्टरी, ईशापुर, में हो रहा है ।

(ख) इन हथियारों की बिक्री सारे देश में लाइसेन्स प्राप्त हथियार और बारूद व्यापारियों के माध्यम से होती है । कीमतें समय-समय पर निर्धारित की जाती हैं । वर्तमान अधिकतम खुदरा कीमतें इस प्रकार हैं :—

12 बोर डी बी बी एल शाट गन नांन-इजेक्टर, पैटर्न नांन-ए-ग्रेण्ड 1250 रु०

.315" स्पोर्टिंग राइफल—1000 रुपये

.22" राइफल —1200 रुपये

**प्राधिकृत व्यक्ति को आग्नेयास्त्र बेचना**

4652. **श्री महादीपक सिंह शाक्य** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में बने आग्नेयास्त्र सरकार द्वारा निश्चित कीमत से अधिक मूल्य पर बेचे जाते हैं;

(ख) क्या कोई भी अधिकार प्राप्त व्यक्ति अधिपत्र पाने के बाद भी उन्हें कारखाने से सीधे नहीं खरीद सकता है ;

(ग) क्या भारतीय आयुध कारखाने द्वारा निर्मित राइफल एवं बन्दूकों को खरीदते समय, 1500 रुए काला धन के रूप में देना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) हथियार और बारुद के लायसेंस प्राप्त व्यापारियों को स्पोर्टिंग हथियारों की पूर्ति इस शर्त पर की जाती है कि वे आर्डनेंस कारखानों के महानिदेशक द्वारा निश्चित किए गए अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक पर हथियार नहीं बेच सकते हैं ।